

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. श्री नरेश कुमार, सहायक,
कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा।
2. श्री संदीप सिंह, सहायक
कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त,
सर्कल-4, गुरुग्राम।

क्रमांक: स्था/02/2023/18388-90 दिनांक: 20/07/23

विषय:- पदोन्नति उपरांत उप अधीक्षक के पद पर कार्यग्रहण करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको कार्यालय आदेश 17218-368 दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से सहायक के पद से उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, परन्तु लगभग दो सप्ताह बीत जाने के पश्चात भी आप द्वारा उप अधीक्षक के पद पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है व न ही कार्यग्रहण बारे कोई सूचना कार्यालय को दी गई।

अतः आपको उप अधीक्षक के पद पर कार्यग्रहण बारे अंतिम अवसर देते हुये निर्देश दिये जाते है कि आप पत्र प्राप्ती के एक सप्ताह के अन्दर-2 उप अधीक्षक के पद कार्यग्रहण करें, अन्यथा मामले में नियमनुसार आगामी कार्यवाही अमल में ला दी जायेगी।

उप अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।